

# फर्द अहकाम

(नियम 26)

अज अदालत-उपखण्ड अधिकारी जहाजपुर जिला शाहपुरा

भूरा पुत्र नाराण बलाई निवासी खजूरी वगैरह

बनाम

गोपाल पिता भूरा बलाई निवासी खजूरी वगैरह

किस्म मुकदमा प्रा. पत्र 111,128 एल.आर.ए.

मुकदमा नंबर 101/2024

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स अज	नम्बर व तारीख अहकाम जो हुक्म की तामील में जारी हुये
08-04-24	<p>प्रार्थना पत्र सिगे से बाद जांच रिपोर्ट पेश हुआ   प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया गया   प्रार्थी ने जरिये अभिभाषक प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि मेरे एकल/संयुक्त खाते की भूमि ग्राम खजूरी प.ह. खजूरी आराजी सं. 1132/40, 1647/657 कुल किता 02 रकबा 0.9936 हेक्टेयर भूमि स्थित है   अप्रार्थीगण उक्त वर्णित कृषि आराजी के पड़ोसी है   अप्रार्थीगण से सीमा विवाद होने के कारण पत्थरगढ़ी करवाये जाने की आवश्यकता है, अतः उक्त आराजी की पत्थरगढ़ी के आदेश प्रदान किये जावें   प्रार्थना पत्र की ताईद में प्रार्थी का शपथ पत्र संलग्न है  </p> <p>मैंने पत्रावली का अवलोकन किया सुयोग्य अभिभाषक/प्रार्थी की एक पक्षीय बहस सुनी   पत्रावली के साथ संलग्न नकल जमाबंदी संवत 2073 से 2076 तक के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रार्थी पत्थरगढ़ी हेतु आवेदन की गई भूमि का खातेदार है   प्रार्थी द्वारा अप्रार्थीगण के साथ सीमा विवाद होना बताया है, अतः न्यायालय पत्थरगढ़ी किया जाना उचित समझता है   ग्राम खजूरी प.ह. खजूरी आराजी सं. 1132/40, 1647/657 कुल किता 02 रकबा 0.9936 हेक्टेयर भूमि की उभयपक्षों की उपस्थिति में पत्थरगढ़ी करने हेतु भू-अभिलेख निरीक्षक खजूरी को कमीशनर नियुक्त किया जाता है   कमीशनर फीस 500 रुपये तय किए जाते हैं जो प्रार्थी मौके पर अदा करेगा, उनमें से 100 रुपये राजकोष में जमा करावे   पत्थरगढ़ी के दौरान किसी भी पक्ष के कब्जे को प्रभावित नहीं किया जावें   पालना हेतु तहसीलदार जहाजपुर को लिखा जावें   तहसीलदार जहाजपुर को प्रतिवादीगणों को जरिये नोटिस / समन भेजकर उभयपक्ष की उपस्थिति में पत्थरगढ़ी के आदेश दिये जाते हैं   पालना रिपोर्ट शीघ्र प्रस्तुत करें  </p> <p>आदेश आज दिनांक 08/04/2024 को खुले न्यायालय में सुनाया गया  </p>	

उपखण्ड अधिकारी  
जहाजपुर (शाहपुरा)

## कार्यालय उपखण्ड अधिकारी जहाजपुर जिला शाहपुरा

क्रमांक/रीडर/2024/101/2024


दिनांक- 08/04/2024

निमित्त-

तहसीलदार जहाजपुर.

विषय- प्र.सं. 101 / 2024 अनवान भूरा पुत्र नाराण बलाई निवासी खजूरी, भागुता पुत्र नाराण बलाई निवासी खजूरी बनाम गोपाल पिता भूरा बलाई निवासी खजूरी, मदन पिता पूरा बलाई निवासी खजूरी, छगन पिता सुगना मीणा निवासी खजूरी, शंकर पिता बालू मीणा निवासी छाछिया, सोराज पिता बालू मीणा निवासी छाछिया, रामदेव पिता नाराण मीणा निवासी छाछिया, राधाकिशन पिता देबी दरोगा निवासी छाछिया, शंभू पिता देबी दरोगा निवासी छाछिया, रामप्रसाद पिता लादू बलाई निवासी खजूरी, घिसा पिता मांगी मीणा निवासी खजूरी, गीता पत्नी श्यामलाल बलाई निवासी खजूरी, अशोक पिता भागुता मीणा निवासी खजूरी, रामकुवार पिता भागुता मीणा निवासी खजूरी, गोपाल पिता भागुता मीणा निवासी खजूरी, तहसीलदार जहाजपुर की पत्थरगढी की पालना करने बाबत

उपरोक्त विषयांकित अनवान के प्रकरण में ग्राम खजूरी प.ह. खजूरी आराजी सं. 1132/40, 1647/657 कुल कित्ता 02 रकबा 0.9936 हेक्टेयर भूमि की उभयपक्षों की उपस्थिती में पत्थरगढी करने हेतु भू- अभिलेख निरीक्षक खजूरी को कमीश्नर नियुक्त किया जाता है। कमीश्नर फीस 500 रूपये तय किए जाते हैं जो प्रार्थी मौके पर अदा करेगा, उनमें से 100 रूपये राजकोष में जमा करावे। पत्थरगढी के दौरान किसी भी पक्ष के कब्जे को प्रभावित नहीं किया जावे। तहसीलदार जहाजपुर को प्रतिवादीगणों को जरिये नोटिस / समन भेजकर उभयपक्ष की उपस्थिति में पत्थरगढी के आदेश दिये जाते हैं। पालना रिपोर्ट 15 योम में पेश करे।



उपखण्ड अधिकारी

जहाजपुर जिला शाहपुरा